

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर
79/2025 प्रा.पत्र/2025

तारीख दायरा
04.08.2025

सामरतन साँकरिया
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
19.09.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री मोतीदास पुत्र श्री चिमनदास निवासी प्लॉट नं0 15 सीता वाटिका कंकाली माता मन्दिर के पास टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स न्यू जोधपुर स्वीट एण्ड रेस्टोरेन्ट कलेक्ट्री के सामने टोंक जिला टोंक राज0। मोबाईल नं0 9413802525
- 2-मैसर्स न्यू जोधपुर स्वीट एण्ड रेस्टोरेन्ट कलेक्ट्री के सामने टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड-304001

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थी श्री मोतीदास स्वयं उप0।

:-निर्णय:-

दिनांक 19.9.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.06.2025 को समय 01:00 पी.एम. पर मैसर्स न्यू जोधपुर स्वीट एण्ड रेस्टोरेन्ट कलेक्ट्री के सामने टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री मोतीदास पुत्र श्री चिमनदास अपने प्रतिष्ठान न्यू जोधपुर स्वीट एण्ड रेस्टोरेन्ट कलेक्ट्री के सामने टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मोतीदास पुत्र श्री चिमनदास को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मोतीदास पुत्र श्री चिमनदास ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा गौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान के काउन्टर में 2 ट्रे में लगभग 4-5 किलोग्राम लड्डू(बिसन, रिफाईण्ड, सोयाबीन तेल, वनस्पति व चीनी निर्मित मिठाई) रखी हुई थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री मोतीदास पुत्र श्री चिमनदास को फार्म नं 5 ए में वारंटे नमूना क्व कराने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मोतीदास पुत्र श्री चिमनदास के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये



NAL
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

व हस्ताक्षर कर तरदीक किया। एक प्रति विक्रेता को वारते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान में 2 ट्रे में लगभग 4-5 किलोग्राम लड्डू(बिसन, रिफाईण्ड, सोयाबीन तेल, वनस्पति व चीनी निर्मित मिठाई) में से कुल 2 किलोग्राम वारते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा लड्डू(बिसन, रिफाईण्ड, सोयाबीन तेल, वनस्पति व चीनी निर्मित मिठाई) 2 किलोग्राम बराबर-बराबर भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, प्रत्येक भाग को साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर-बराबर प्रत्येक डिब्बों में 500-500 ग्राम भरकर, बतौर परिरक्षित प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फार्मलिन की 40-40 बूंद डालकर, अच्छी तरह हिला-मिलाकर प्रत्येक शीशी को गोद से अच्छी तरह चिपकाया, डिब्बों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4395 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4395 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/878 दिनांक 26.06.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/2530/एक्ट/2025/2611 दिनांक 16.06.2025 के अनुसार विक्रेता से वारते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया लड्डू(बिसन, रिफाईण्ड, सोयाबीन तेल, वनस्पति व चीनी निर्मित मिठाई) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक(Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण

कार्यालय में प्रस्तुत किया।




प्रतिरक्षित जिला मांजरदर
लोक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री मोतीदास स्वयं उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की ग्लाइसिड/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस लड्डू(बेसन, रिफाईण्ड, सोयाबीन तेल, वनस्पति व चीनी निर्मित मिठाई) का विक्रय कर रहे थे वह जांव में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया लड्डू(बेसन, रिफाईण्ड, सोयाबीन तेल, वनस्पति व चीनी निर्मित मिठाई) का नमूना जांव में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 19.9.25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सामस्तिकी अधिकारी)
न्यायिक निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज